समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

264.

–: आदेश :–

07-09-2013

आवेदक **श्री संजीव कुमार,** पिता–श्री कमलकान्त सिंह, सा0–हरनीचक, पो0–अनिसाबाद, थाना–बेऊर, जिला–पटना से प्राप्त एक .355 बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–93/2008 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि–06.09.2013 निर्धारित की गई। अपरिहार्य कारणों से सुनवाई की पहली तिथि स्थगित करते हुए दूसरी तिथि–07.09.2013 निर्धारित की गई।

दिनांक–07.09.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे बेऊर थाना अन्तर्गत केबल टी वी के व्यवसाय से जुड़े हैं। आवेदक के साथ पूर्व में आपराधिक घटना घटी है, जिसके संदर्भ में बेऊर थाना कांड सं0–84/07 दर्ज है। उनके दादा स्व0 हजारी लाल के नाम से शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0–57/46 पर धारित .355 बोर एस0बी0बी0एल0 गन सं0–804879, जो बन्दूक भवन, गोरिया टोली, पटना में जमा है। आवेदक कुख्यात अपराधी की हिट लिस्ट में हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–66/गो0, दिनांक–16.01.2011 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मूल में अग्रसारित कर भेजा गया है एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–459/गो0, दिनांक–02.03.2008 द्वारा अधीनस्थ पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित/अनुशंसित किया गया है। थानाध्यक्ष, बेऊर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्ष 2008 एवं वर्ष 2011 में थानाध्यक्ष, बेऊर के सत्यापन प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि वे केबल टी वी के व्यवसाय से जुड़े हैं। आवेदक के साथ पूर्व में आपराधिक घटना घटी है, जिसके संदर्भ में बेऊर थाना कांड सं0–84/07 दर्ज है। उनके दादा स्व0 हजारी लाल के नाम से शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0–57/46 पर धारित .355 बोर एस0बी0बी0एल0 गन सं0–804879, जो बन्दुक भवन, गोरिया टोली, पटना में जमा है। आवेदक कुख्यात अपराधी के हिट लिस्ट में हैं। तदोपरान्त अपने जान–माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने

हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में थानाध्यक्ष द्वारा आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री संजीव कुमार, पिता–श्री कमलकान्त सिंह, सा0–हरनीचक, पो0–अनिसाबाद, थाना–बेऊर, जिला–पटना को उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक .355 बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।